

618
2021

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान/ केम्प कोर्ट) कैम्प मादलिया
दिनांक : 20.10.2021


क्रमांक : राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/264

मु.नं. 509/21

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मादलिया व भू.अ.नि.बोरुन्दा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मादलिया तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 413, 414, 415 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मादलिया	413	397, 400, 450, 491, 603	घनश्याम पुत्र रामरख	घनश्याम पुत्र रामरख
		414	715/1		
		415	424, 609/1		


(दूदराम)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर
दिनांक :- 20.10.2021

क्रमांक :-सम/2021/265-267

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी मादलिया को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी घनश्याम पुत्र रामरख जाति बाह्यण निवासी मादलिया को सूचनार्थ


(दूदराम)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर